न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 202/2017/डिक्री

नाराणी पुत्री भागु गुर्जर
निवासी सहनवा हाल सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. रेखा कुमावत पुत्री हीरालाल कुमावत
   निवासी दुर्ग चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़
2. नाराण उर्फ नारायण पिता भागु गुर्जर
   निवासी सेंती चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
4. ग्रामसेवा सहकारी समिति सेंती जरिये अध्यक्ष जी.एस.एस. चित्तौड़गढ़
   तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 19.06.2017 प्रकरण सं. 181/2016

उपस्थित – 1. श्री किशनलाल कुमावत – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री केजी गदिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री ललित लढा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–2

निर्णय दिनांक– 09.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया के राजस्व ग्राम सेंती चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 133,170,195,196 कुल रकबा 4 कुल रकबा 1.20 है0 मे वादिया का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 नाराण का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है और वादिया ने उक्त कृषि भूमि मे स्वंय के 1/3 हिस्से का कब्जा होना अंकित कर हिस्से अनुसार विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण मे पेशी दिनांक दिनांक 16/03/2017 को आगामी पेशी दिनांक 31/05/2017 को नियत हुआ किन्तु उक्त प्रकरण को शीघ्र सुनवाई सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र अपीलान्ट को नही मिला और दिनांक 31/05/2017 की प्रोसेडिंग मे उक्त प्रकरण को

केम्प कोर्ट एराल मे पेश होने का अंकन किया किन्तु कोई तारीख अंकित नही की तथा उक्त प्रकरण मे दिनांक 19/06/2017 को प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया जबकि उक्त वाद मे अपीलान्ट/प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया। अन्य प्रतिवादीगण की भी तामील नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने कोई अवसर प्रदार नही किया तथा प्रकरण को लोक अदालत मे बिना पक्षकारो की उपस्थिति के बिना राजीनाता प्रस्तुत हुए ही वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे पारित कर दी जो विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है। जो पूर्व मे अपीलान्ट के पिता भागु पुत्र वेणाजी के खातेदारी की थी जिनकी निर्वसीयत मृत्यु होने के पश्चात् उक्त भूमि भागु पिता वेणा के वारिस उनके पुत्र नारायण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व पुत्र शम्भु जिसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि सुन्दरबाई तथा अपीलान्ट की माता कनी देवी व अपीलान्ट नाराणी का 1/4, 1/4 हिस्सा खातेदारी का बना। किन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियो की गलती से भागूजी की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम नही खोला गया जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 3/11/2015 को प्रस्तुत किया। प्रकरण संख्या 104/2016 दर्ज होकर विचाराधीन है जिसमे सुनवाई की आगामी पेशी दिनांक 4/10/2017 की नियत है। अपीलान्ट ने उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 275/2015 अनवान नाराणी बनाम सुन्दर दिनांक 19/11/2015 को निरस्त हुआ। जिसकी अपील अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ के यहां दिनांक 07/12/2015 प्रस्तुत कर रखी है जिनमे 29/09/2016 को उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के संदर्भ मे खातेदारी की घोषणा का दावा पूर्व मे ही प्रस्तुत कर रखा जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेखा को पूर्व से ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के वाद की कृषि भूमि मे अपीलान्ट का विरासत से 1/4 हिस्सा खातेदारी का निहित होकर अपीलान्ट

अपने हिस्से पर काबिज होकर खेती कर रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही है न ही उसका 1/3 हिस्सा खातेदारी का निहित है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे ग्राम सेंती की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के संदर्भ मे विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश निर्णय व प्राथमिक डिक्री मे वादग्रस्त कृषि भूमि मे पृथक से 10 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने भी आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट पक्षकार प्रकरण नही था। न ही अपीलान्ट को उक्त वादपत्र के प्रस्तुत होने या विचारण होने एवं निर्णित होने की कोई जानकारी रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी उक्त वाद की कोई जानकारी कभी अपीलान्ट को नही दी। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19/06/2017 प्रकरण संख्या 181/2016 निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेखा कुमावत द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया। जिसमे श्री नारायण, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति सेंती तहसील व जिला चित्तौडगढ को पार्टी बनाया गया है। अपीलान्ट को पार्टी नही बनाया गया है। यह सम्पत्ति एक पैतृक सम्पत्ति है। श्री भागु की दो पुत्र श्री नारायण तथा श्री शम्भू पत्नि श्रीमती कनी एवं अपीलान्ट एक पुत्री है। इस प्रकार कुल 4 वारिस है। अपीलान्ट ने घोषणात्मक डिक्री हेतु एक वाद अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी मे नही है। इस प्रकार कुल 3 ही वारिस होने के कारण श्री नारायण, श्री शम्भु एवं श्रीमती कनी का 1/3 – 1/3 हिस्सा है। श्री शम्भु की मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण उनकी पत्नि श्रीमती सुन्दर के नाम राजस्व रिकार्ड मे 1/3 दर्जशुदा है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेखा कुमावत पुत्री हीरालाल कुमावत को जरिये बयनामा स्थानान्तरित हो चुकी है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 19/06/2017 राजस्व शिविर एराल मे पारित किया गया है। प्राथमिक डिक्री मे भूमि पर आने–जाने हेतु 10 फीट चौडा रास्ता भी कायम किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है तथा उन्हे पार्टी नही बनाया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बयान किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या रेखा द्वारा क्रयशुदा 1/3 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 2881 दिनांक 03/12/2015 को खुल चुका है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपील अपीलान्ट खातेदार नही है, इसलिये उन्हे पार्टी बनाना अनिवार्य नही है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित घोषणात्मक वाद बाबत् प्रति पेश की है वह भी विचाराधीन है। किसी प्रकार का निर्णय पारित नही हुआ है। ऐसी सूरत मे विचाराधीन प्रकरण का प्रभाव इस निर्णय पर नही पडता है। अपीलान्ट द्वारा ऑर्डर 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ बहस के समय प्रस्तुत दस्तावेजात मे वाद की कलम संख्या 5 मे उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इस प्रकार माना है कि अपीलान्ट का कब्जा नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलान्ट रिकोर्डड खातेदार नही है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद मे यह अनिवार्य है कि केवल सहखातेदारान को ही पार्टी बनाया जाता है। ऐसी सूरत मे प्रकरण संख्या 181/2016 जिसके विरूद्ध यह अपील की गई है उसमे अपीलान्ट को पार्टी नही बनाकर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। जब तक अन्य विचाराधीन घोषणात्मक वाद मे खातेदारी हक प्राप्त नही हो जाता है तब तक अपीलान्ट उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही कर सकता है। ऐसी सूरत मे यह अपील सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 181/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 19/06/2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़